**दिल्ली विकास प्राधिकरण**
**(वित्त एवं व्यय विभाग)**

**सं.-एफ.ई.5(35)2016/डी.डी.ए./539**

**दिनांकः- 16-09-2016**

**वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 21/2016**

**विषयः- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने पर वेतन निर्धारण पर बकायों का भुगतान**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने राजपत्र अधिसूचना सं0 1-2/2016-आई सी दिनांक 25-07-2016 द्वारा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों अधिसूचित की ।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने हेतु आदेश वित्त एवं व्यय परिपत्र सं0 16/2016 दिनांक 22-08-2016 द्वारा जारी किए जा चुके हैं । अगस्त, 2016 माह का वेतन 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार जारी किया जा चुका है तथा यह भी निर्णय लिया गया है कि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार 01-01-2016 से प्रभावी सी.सी.एस. (आर.पी.)नियम, 2016 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण होने पर संशोधित वेतन के कारण से होने वाले बकाए का भुगतान, संशोधित वेतन को ध्यान में रखते हुए जी.पी.एफ. तथा एन.पी.एस. के खातों में यथा लागू समायोजन करने के पश्चात एक किश्त में किया जाएगा । आहरण एवं संवितरण अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बढ़े हुए अंशदान के लिए सरकार के अंश के संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 29-07-2016 के कार्यालय परिपत्र के अनुसार, एक साथ कार्रवाई की जाए ।

अगस्त, 2016 का वेतन जारी करने के लिए और 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग हेतु विकल्प का उपयोग करते समय कर्मचारियों से प्राप्त "वचन बन्ध" बकायों के भुगतान हेतु भी लागू होगा ।

**(संतोष कुमार)**
**मुख्य लेखा अधिकारी**

प्रति प्रेषितः-

1. माननीय उपराज्यपाल/उपाध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी,
2. वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य/मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रधान आयुक्तों के निजी सचिव,
3. सभी आयुक्त/आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुकार/सभी विभागाध्यक्ष,
4. वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक (भूमि लागत/निर्धारण)/निदेशक (एम एंड पी)/निदेशक (वित्त),
5. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी/उप वित्त सलाहकार (आवास)-1 एवं 2,
6. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
7. गार्ड फाइल ।
8. सूचना पट्ट ।

**वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त एवं व्यय)**